

भाषा-शिक्षण और सामाजिक चेतना

अशोक ओझा

आलेख-सार

इक्कीसवीं सदी में भाषा-शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों की ज़रूरतें बदल चुकी हैं। इक्कीसवीं सदी में हम अपने भाषा शिक्षार्थियों को 'विश्व नागरिक' बनाना चाहते हैं। 'विश्व नागरिक' बनाने की प्रक्रिया में आधुनिक भाषा-शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाषा-शिक्षण के माध्यम से हम शिक्षार्थियों में सामाजिक चेतना या कह लें कि उन्हें सामाजिक चुनौतियों का सामना करने योग्य बना सकते हैं। विगत दो दशकों में भाषा-शिक्षण कक्षा में शिक्षार्थियों को संवाद के लिए अनेक परिस्थितियों की कल्पना पर जोर दिया गया है ताकि शिक्षार्थी उन परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं को जानें, समझें, अपने साथियों से उन पर विवाद करें और किसी निष्कर्ष पर पहुँचें, जिसके बारे में कक्षा के बाहर भी चर्चा करने में सक्षम हों। वे प्रौद्योगिकी में, खास तौर पर अंतरजाल के विस्तार के कारण, प्रवीण हैं, अपने आस-पास हो रही सामाजिक, राजनैतिक गतिविधियों के प्रति बेहद जागरूक हैं, और मूल संस्कृति के लोगों से (मूल संस्कृति जहाँ से भाषा प्रारम्भ हुई इसे 'टारगेट लैंग्वेज' कहकर सम्बोधित किया जाता है।) संवाद करने में सक्षम। यही सक्षमता उन्हें भाषा-प्रवीण बनाती है।

प्रस्तुत आलेख में आधुनिक 'भाषा शिक्षण' के कुछ दूरगामी उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है।

भाषा विशेषज्ञ मानते हैं कि 'भाषा-शिक्षण' ऐसी विधा है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में न सिर्फ सामाजिक चेतना पैदा की जा सकती है वरन् उन्हें सामाजिक न्याय के मुद्दों के प्रति जागरूक भी किया जा सकता है। भाषा-शिक्षार्थियों को सामाजिक विषमता से जुड़े पहलुओं पर विचार करने के साथ ही उनका समाधान निकालने की दिशा में सक्षम भी बनाया जा सकता है। इक्कीसवीं सदी के विश्व नागरिकों को सामाजिक मुद्दों का हल निकालने के योग्य बनाने में भाषा-शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विद्यार्थियों को अपने भावी कैरियर में सफलता पाने के लिए उनमें ऐसे कौशल विकसित किये जाएँ जिनसे वे

आज के लोकतांत्रिक समाज में तेजी से हो रहे बदलाव को सही दिशा में ले जाने में सकारात्मक योगदान कर सकें। स्कूल और कॉलेज के परिसर के बाहर जो कुछ हो रहा है, उसके सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य को समझना, विश्लेषित करना, तार्किक संवाद कायम करना और अपनी भूमिका निर्धारित करने का कार्य शिक्षार्थी और शिक्षक सफलतापूर्वक तभी कर सकते हैं जब कि उनमें रचनात्मक सोच, विश्लेषण, समस्या समाधान, और सामूहिक कार्य संपन्न करने की क्षमता हो। ये सारे कौशल विद्यार्थियों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान कक्षा में सिखाये जाने चाहिए।

आधुनिक भाषा-शिक्षा क्या है?

इक्कीसवीं सदी के इस प्रौद्योगिकी प्रधान दौर में, जब विश्व एक 'ग्लोबल विलेज' के रूप में सिमटता जा रहा है, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों में वैश्विक चुनौतियों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हमारे आस-पास, स्थानीय स्तर पर जो कुछ घटित हो रहा है उसका असर पूरे विश्व पर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में विगत एक दशक में हिंदी संगम फाउंडेशन और युवा हिंदी संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रमों में हिंदी सिखाते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि शिक्षार्थी रटे-रटाए शब्दों और शब्द रचनाओं से आगे बढ़ें। वे विषय के अनुरूप, बोल-चाल और लिखने संबंधी गतिविधियों में अपने अनुभवों को शामिल करें ताकि वे व्यावहारिक जीवन में, अप्रत्याशित स्थितियों में भी, सीखी हुई भाषा का प्रयोग कर अपरिचित लोगों से संवाद स्थापित कर सकें। शिक्षार्थी ऑडियो-विजुअल सामग्री देखने सुनने में बहुत रुचि दिखाते हैं। चित्र और वीडियो क्लिप के जरिए भाषा का आदान-प्रदान भी बेहतर ढंग से होता है। हिंदी संगम के एक कार्यक्रम में बिहार के एक गाँव के दशरथ माँझी नामक आम आदमी की कहानी, जिन्होंने गाँव के लिए पहाड़ काट कर सड़क का निर्माण किया और असम में जादव पायंग द्वारा पेड़ रोप कर जंगल बनाने की कहानी बच्चों को बहुत पसंद आई, जिसके बारे में वे न सिर्फ परस्पर बातें करते रहे, बल्कि इन कहानियों को दुबारा कहना, उनके चित्र बनाकर प्रस्तुत करना और उन्हें अपना आदर्श बनाकर पेश करना उनके ज्ञानवर्धन का सबूत रहा। हमने भारतीय परिवेश से जुड़ी कहानियों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया।

स्थानीय भी, वैश्विक भी:

हमने अपने शिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय मुद्दों को वैश्विक मुद्दों से जोड़कर भाषा शिक्षार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्हें नई भाषा सिखाई। दशरथ माँझी और जादव पायंग भारतीय समाज की, जहाँ से हिंदी का उद्गम हुआ है, वास्तविक जीवन के 'रोल मॉडल' हैं, जो स्थानीय होते हुए भी वैश्विक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसी

प्रकार युवा हिंदी संस्थान द्वारा संचालित स्टारटॉक कार्यक्रम में जब बच्चों ने गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेरों के जीवन की कहानी पढ़ी तो उन्होंने लुप्तप्राय प्राणियों से नाता जोड़ा और पता लगाया कि लुप्तप्राय प्राणियों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर वायुमंडल में ग्रीनहाऊस गैस का अनियंत्रित प्रवाह भूमंडलीय गर्मी पैदा करता है। भूमंडलीय गर्मी का प्रदूषण से सीधा संबंध है। यह अप्रत्याशित ठंड, बाढ़ और भयंकर जंगली आग जैसी प्राकृतिक विपदा को जन्म देती है। भाषा शिक्षार्थी को आज के इन मुद्दों की पृष्ठभूमि से, उनके भाषाई और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से, अवगत होना जरूरी है। इसके लिए उन्हें जानना होगा कि 'टारगेट लैंग्वेज' यानी शिक्षार्थी जिस भाषा की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसकी मूल संस्कृति में, रोज़ाना के रहन-सहन में लोग भूमंडलीय गर्मी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी परंपरा और रहन-सहन में पर्यावरण संरक्षण का कितना महत्व है। भाषा शिक्षार्थी मूल संस्कृति के वक्ता से संवाद करने में सक्षम होता है, उसके परिप्रेक्ष्य से सहमत न होते हुए भी उसके प्रति आदर भाव रखता है। इस संवाद की स्थिति के कारण ही शिक्षार्थी अपने विचारों में वैश्विक पृष्ठभूमि का समावेश कर सकता है, और अंततः विश्व नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है।

भाषा-शिक्षार्थी और मूल संस्कृति:

भाषा विशेषज्ञों का कहना है कि भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ भाषा कौशल बढ़ाना ही नहीं है। भाषा शिक्षा का महत्व यह है कि शिक्षार्थी अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए मूल भाषा के सांस्कृतिक संदर्भ को समझते हुए उसके बोलने वाले (नेटिव स्पीकर) के साथ आदरपूर्वक संवाद स्थापित करने में समर्थ हों। 'अमेरिकन कौंसिल ऑन टीचिंग ऑफ़ फॉरेन लैंग्वेजेज' (हिंदी में अनुदित-विदेशी भाषाओं के अध्यापन की अमेरिकी परिषद) ने इस विचार को "वैश्विक क्षमता" और "अंतर-सांस्कृतिक संचार क्षमता" (इंटरकल्चरल कम्युनिकेटिव कंपीटेंस) कहा है जिनके लिए विस्तृत मानक गढ़े हैं। इन मानकों में विभिन्न प्रवीणता वाले छात्रों के लिए 'कैन डू' ('क्या कर सकता हूँ') वक्तव्य बनाये गए हैं। भाषा शास्त्रियों ने इन मानकों को सामाजिक न्याय शिक्षा से संबंधित माना है।

शब्द और सक्षमता:

'अमेरिकन कौंसिल ऑन द टीचिंग ऑफ़ फॉरेन लैंग्वेजेज' द्वारा प्रकाशित पुस्तक, 'वर्ड्स एंड ऐक्शन्स-टीचिंग लैंग्वेजेज थ्रू द लेंस ऑफ़ सोशल जस्टिस' में सामाजिक बदलाव से जुड़े विषयों को भाषा कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा गया है। 'सामाजिक न्याय एक ऐसा दर्शन है जिसके द्वारा सभी लोगों को उदारता, आदर और इज़्जत से देखा जा सकता है।' 'वर्ड्स एंड ऐक्शन्स-टीचिंग लैंग्वेजेज थ्रू द लेंस

ऑफ सोशल जस्टिस' के लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि विषय वस्तु विशेष पढ़ाते समय शिक्षक पाठ के लक्ष्य को बदल सकते हैं। कक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग से यह कार्य मुश्किल हो सकता है, इसीलिए भाषा शिक्षण में 'प्रामाणिक सामग्री' (ऑथेंटिक मटेरियल) के प्रयोग पर जोर दिया गया है। 'प्रामाणिक सामग्री' को पारिभाषित करते हुए कहा गया है कि 'यह सामग्री लिखित भाषा (टेक्स्ट), रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो-वीडियो दृश्य (ऑडियो-विजुअल) या महज चित्र भी हो सकते हैं, जो कि मूल संस्कृति (जहाँ भाषा मूल रूप से प्रयोग में आती है) में शिक्षण के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से बनाये गए हों। इस प्रकार विज्ञापन, फिल्मों के दृश्य, सूचना पट्ट, समाचार कतरनें, टीवी समाचार, आदि सामग्री 'प्रामाणिक सामग्री' की श्रेणी में आते हैं। लेकिन संबंधित सामग्री का चुनाव शिक्षक के विवेक पर निर्भर है जिसे देखना चाहिए कि उस सामग्री में प्रयुक्त शब्दावली, विवरण पाठ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। सामग्री में सांस्कृतिक संदर्भ से भरपूर नए वक्तव्य या प्रश्नों का समावेश कर शिक्षार्थियों के लिए सोचने-विचारने, बहस करने के लिए उचित अवसर पैदा करना भी शिक्षक की जिम्मेदारी ही बनती है।

शिक्षक की भूमिका:

हालाँकि भारत और भारत से बाहर भाषा-शिक्षण के अलग-अलग मापदंड हैं, लेकिन कुछ पैमाने ऐसे हैं, जिनका उपयोग मूल संस्कृति (भारत) और उनके बाहर (अमेरिका या अन्य देशों में) समान रूप से किया जा सकता है। इसके पीछे तर्क यह है कि हम इक्कीसवीं सदी में अपने भाषा शिक्षार्थियों को 'विश्व नागरिक' बनाना चाहते हैं। विगत दो दशकों में भाषा-शिक्षण कक्षा में शिक्षार्थियों को संवाद के लिए अनेक परिस्थितियों की कल्पना पर जोर दिया गया है ताकि शिक्षार्थी उन परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं को जानें, समझें, अपने साथियों से उन पर विवाद करें और किसी निष्कर्ष पर पहुँचें, जिसके बारे में कक्षा के बाहर भी चर्चा करने में सक्षम हों। यही से बात शुरू होती है इक्कीसवीं सदी में भाषा-शिक्षण की। इस सदी के भाषा-शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों की ज़रूरतें बदल चुकी हैं। वे प्रौद्योगिकी में, खास तौर पर अंतरजाल के विस्तार के कारण, प्रवीण हैं, अपने आस-पास हो रही सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों के प्रति बेहद जागरूक हैं, और मूल संस्कृति के लोगों से (मूल संस्कृति जहाँ से भाषा प्रारम्भ हुई, इसे 'टारगेट लैंग्वेज' कहकर संबोधित किया जाता है।) संवाद करने में सक्षम। यही सक्षमता उन्हें भाषा-प्रवीण बनाती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रारम्भिक या नौसिखुए भाषा-शिक्षार्थी 'नोविस' के पास अपनी बात कहने के लिए इतने कम साधन होते हैं, उसका शब्द-ज्ञान और संप्रेषण की क्षमता इस क़दर सीमित होती है कि वह सामाजिक और वैश्विक मुद्दों पर अपनी समझ बढ़ाने में अक्षम हैं, क्योंकि उन्हें पहले तो अपने भाषा ज्ञान को बढ़ाना है। इसका एकमात्र हल यह है कि आधुनिक

सामाजिक विषयों को पाठ्यक्रम में इस प्रकार सम्मिलित करना होगा कि नौसिखुए (नोविस) विद्यार्थी भी उनसे जुड़े मुद्दों को समझ सकें और संभवतः उस पर अपनी सोच कायम कर सकें। नौसिखुआ भाषा-शिक्षार्थी (नोविस), जो कि मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल का छात्र हो सकता है, शब्द और वाक्यों को रट-रट कर याद करता है। मध्यम स्तर का विद्यार्थी (इंटरमीडिएट) कुछ परिचित विषयों पर अपने विचारों को वाक्यों में व्यक्त करता है, जो कि जरूरी नहीं कि पूरी तरह शुद्ध हों। ये विद्यार्थी जिन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके संबंध में पूर्ण वाक्यों में बातचीत या सवाल-जवाब कर सकते हैं। प्रवीणता का सही मापदंड मूल संस्कृति, 'टारगेट लैंग्वेज' के वक्ता से बात करना होगा। मध्यम श्रेणी (इंटरमीडिएट) तक पहुँचते-पहुँचते विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं जैसे विषयों पर खुलकर बात-चीत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रारंभिक या नौसिखुए (नोविस), मध्यम (इंटरमीडिएट) और अग्रिम (एडवांस) विद्यार्थियों की ये श्रेणियाँ उन छात्र-छात्राओं के लिए उपयुक्त हैं जो या तो गैर-भारतीय परिवेश से आए हैं, अथवा, भारतीय मूल के होते हुए भी भारत से बाहर पैदा हुए और बड़े हो रहे हैं, उन्हें हिंदी बोलने, लिखने, और पढ़ने का अवसर नहीं मिला। वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जहाँ हिंदी की विधिवत शिक्षा नहीं दी जाती। अमेरिका में उन्हें विरासत (हेरिटेज) और गैर-विरासत (नोन-हेरिटेज) श्रेणी में विभाजित किया गया है। भारत में हिंदी सीख रहे अन्य देशों के गैर-भारतीय मूल के विद्यार्थियों को इस वर्गीकरण में शामिल करना उचित होगा।

विद्यार्थी और भिन्नता:

उदाहरण के लिए यदि हम प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी (नोविस) को यह सिखाएँ कि वह अपने बारे में पाँच बातें कहे तो हर विद्यार्थी अपने बारे में सोचेगा। हम सोचें कि बच्चे एक कमरे के घर में रहते हैं, वे क्या कहना चाहेंगे, और जो बच्चे चार कमरे के घर में रहते हैं वे अपनी बात कैसे कहेंगे। शिक्षक के रूप में हम परोक्ष रूप से गरीब और अमीर के रहन-सहन के साथ अपने शिक्षार्थियों को परिचित करा रहे हैं, लेकिन यदि चार कमरे के मकान में रहने वाला विद्यार्थी एक कमरे के मकान में रहने वाले विद्यार्थी से परिचित होता है, उसके साथ सद्भावनापूर्ण वातावरण में मिलकर बड़े और छोटे घरों के बारे में क्या, क्यों कैसे जैसे प्रश्नों के साथ आपस में बातचीत कर सकता है, तो निश्चित ही हम ऐसा विद्यार्थी वर्ग पैदा कर रहे होंगे, जो कि सामाजिक विषमताओं के प्रति न केवल जागरूक होगा, वरन्, उस विषय पर अपनी सोच को विस्तृत करेगा। इन सबके लिए उसे भाषा चिंतन, परस्पर वैचारिक आदान-प्रदान और चर्चा करने की क्षमता पैदा करनी होगी। इस प्रक्रिया में उसकी भाषा प्रवीणता आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार 'बाल मजदूरी' एक ऐसा विषय है जिसके बारे में

नौसिखुआ से लेकर श्रेष्ठ स्तर तक के विद्यार्थी अपनी भाषा प्रवीणता के आधार पर शोध कर सकते हैं, उस पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर परस्पर विचार विमर्श कर सकते हैं और इस चुनौतीपूर्ण सामाजिक समस्या पर अपने वैचारिक निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह के विद्यार्थी 'वैश्विक क्षमता' (global competence) हासिल करेंगे। वे न केवल बोलने, लिखने और पढ़ने की अपनी भाषा क्षमता में विस्तार कर रहे होंगे, वरन् वैश्विक नागरिक की अपनी भूमिका भी निभा रहे होंगे।

सामाजिक भेदभाव से रु-ब-रु:

सन् 2018 में 'सामाजिक न्याय और नागरिकता' विषय के अंतर्गत मैंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के लिए पाँच वीडियो तैयार किए, ([https://www.youtube.com/results?search query=N Y U-sangam+foundation+video+by+ashok+ojha](https://www.youtube.com/results?search+query=N+Y+U-sangam+foundation+video+by+ashok+ojha)), जिनमें भुक्तभोगियों की राम कहानी उन्हीं की जुबानी कही गई है। इन वीडियो को निर्मित करने के लिए मैं उत्तराखण्ड गया जहाँ एक गैर सरकारी (NGO) संस्था के सहयोग से उपेक्षित और अभावग्रस्त युवक-युवतियों की आपबीती उन्हीं के मुख से सुनकर रिकॉर्ड की गई। 'बालिका शिक्षा' और 'बाल मजदूरी' ऐसे विषय हैं जिनसे भारतीय समाज ग्रसित है। समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार उनके मूल अधिकार होने चाहिए, लेकिन भारत में यह संभव नहीं हो पाया है, जिसमें हज़ारों-लाखों उपेक्षित और अभावग्रस्त युवक-युवतियाँ उचित शिक्षा और रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। इन वीडियो के वास्तविक पात्र अपनी कहानी स्वेच्छा से बयान करते हैं, वे मुश्किलों से संघर्ष की अपनी कहानी कहते हैं, जिसे आधुनिक भाषा शिक्षा में आसानी से शामिल किया जा सकता है। हो सकता है इन कथानकों की भाषा प्रारंभिक स्तर के उपयुक्त न हो, लेकिन शिक्षक इन प्रामाणिक सामग्री के आधार पर शिक्षार्थियों को परस्पर विचार, विवाद और प्रस्तुति के लिए तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो समाज के एक वर्ग की वास्तविक कहानी कहते हैं, इसलिए वे प्रामाणिक सामग्री की परिभाषा में शामिल किए जा सकते हैं। उनके आधार पर हम शिक्षार्थियों को सामाजिक न्याय से जुड़े पहलू से न सिर्फ अवगत करा सकते हैं, उन्हें सामाजिक असमानता के मुद्दों पर अपनी राय बनाने के लिए पर्याप्त संदर्भ और भाषाई सामग्री भी प्रदान कर सकते हैं।

संवाद के तरीके:

'अमेरिकन कौंसिल ऑन द टीचिंग ऑफ़ फॉरेन लैंग्वेज'- (ACTFL) ने भाषा-प्रवीणता को प्रारंभिक या नौसिखुआ (नोविस), मध्यम (इंटरमीडिएट), अग्रिम (एडवांस) और श्रेष्ठ (सुपीरियर) श्रेणियों में विभाजित किया है। कौंसिल ने विश्व भाषाओं की शिक्षा के लिए पाँच 'सी' का निर्धारण किया है, जिनका समावेश भाषा पाठ्यक्रम

में होना चाहिए। प्रथम 'सी' यानी कम्युनिकेशन (संवाद) के अंतर्गत भाषा शिक्षार्थियों को तीन प्रकार की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए—'परिचयात्मक या सूचनात्मक' (इंटरप्रेटिव), 'पारस्परिक' (इंटरपर्सनल) और 'प्रेजेंटेशनल)। सामाजिक न्याय और बदलाव संबंधी विषयों पर भाषा-विद्यार्थियों को शिक्षित करने की बात जैसे ही चलती है, उसे द्वितीय 'सी'-कल्चर (सांस्कृतिक) यानी संस्कृति के तीन पायों से जोड़कर देखा जाता है। ये तीन पाएँ हैं: सांस्कृतिक प्रतीक (प्रोडक्ट) जैसे दीवाली के दीये, सांस्कृतिक प्रथाएँ (प्रैक्टिसेज), और परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव)। शिक्षार्थी को वाक्य और शब्दावली सीखते समय विषय-वस्तु के सांस्कृतिक प्रतीक (प्रोडक्ट), सांस्कृतिक रीति-रिवाज़ (प्रैक्टिसेज) और सांस्कृतिक संदर्भों (पर्सपेक्टिव) की समझ होनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि हमारा कोई भी सांस्कृतिक कार्य इन तीनों पायों पर टिका है। भाषा शिक्षक का कर्तव्य है कि उसके पाठ्यक्रम में इन सांस्कृतिक पायों का समुचित समावेश करे, ताकि विद्यार्थी सामाजिक मुद्दों को समझते समय उसके सांस्कृतिक संदर्भ को न भूलें। इस प्रकार यह ज़रूरी है कि भाषा शिक्षक कक्षा में जाने के पूर्व विषय वस्तु के विभिन्न संदर्भों से पूरी तरह परिचित हो। तृतीय 'सी' संबंध (कनेक्शन) के अंतर्गत विषय वस्तु का संबंध इतिहास, भूगोल जैसे अन्य विधाओं से स्थापित करना चाहिए। चौथे 'सी' तुलनात्मक (कम्पेरिज़न) के तहत विषय वस्तु का गहन अध्ययन करते समय शिक्षार्थी को उसकी तुलना अपने वर्तमान जीवन की संस्कृति और निजी अनुभव से करने में सक्षम होना चाहिए। यह उन विद्यार्थियों पर विशेष तौर पर लागू होता है, जो गैर भारतीय समाज में पले-बढ़े हैं। पाँचवा 'सी' समुदाय (कम्युनिटीज) की आवश्यकता इसलिए है कि विद्यार्थी अपने भाषा ज्ञान को कक्षा के बाहर ले जाकर स्थानीय समाज से जोड़े जहाँ मूल संस्कृति के सदस्य रहते हैं, क्योंकि विश्व भाषा सीखने का लक्ष्य यह है कि विद्यार्थी मूल संस्कृति के सदस्यों के साथ सार्थक संवाद स्थापित करने में सक्षम हो सकें।

युवा हिंदी संस्थान और हिंदी संगम फाउंडेशन तथा हमारी जैसी अनेक संस्थाएँ अपने पाठ्यक्रमों में अनेक मार्गदर्शक पैमानों का प्रयोग करती आ रही हैं जिन्हें अमेरिका में विदेशी भाषा अध्यापन के लिए अपनाया गया है। ये मार्गदर्शिकाएँ किसी भी विदेशी भाषा या हिंदी के शिक्षण के लिए उपयोगी हैं। यहाँ यह बता देना उपयोगी होगा कि जब भी विद्यार्थी भाषा की मूल संस्कृति से जुड़े दैनिक रहन-सहन की जानकारी प्राप्त करता है तो उस जानकारी को अपने निजी अनुभवों से तुलना ज़रूर करता है। दरअसल, शिक्षक की जिम्मेदारी यह भी है कि वह अपने शिक्षार्थियों को हर उस नयी जानकारी का विश्लेषण करने, उसकी जानकारी की तर्ज़ पर शिक्षार्थी के निजी अनुभवों की तुलना करने के अवसर प्रदान करे, उसके लिए उपयुक्त गतिविधि तैयार करे। यदि 'टारगेट लैंग्वेज' में तालाब में

तैरने का सुखद अनुभव चित्रित है, तो शिक्षार्थी को उसकी तुलना अपने तैराकी के अनुभव से करने का मौका मिलना चाहिए, उसे यह भी विश्लेषित करने का अवसर देना होगा कि क्या स्विमिंग पूल (यदि शिक्षार्थी को सिर्फ उसी में तैरने का अनुभव है) में तैरना ज्यादा सुरक्षित है? यदि हाँ, तो क्यों? इस प्रकार सुविधा संपन्न समाज का शिक्षार्थी यह समझ सकता है कि आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित समाज में जीवन कैसा और क्यों, क्या, कैसे, और कहाँ जैसे प्रश्नों के सहारे हम भाषा विस्तार के अनेक पहलुओं पर शिक्षार्थियों को सोचने और अपने भाषा ज्ञान को बढ़ाने का अवसर दे सकते हैं। इस प्रकार हम निश्चय ही भाषा शिक्षण के साथ सामाजिक विसंगतियों से शिक्षार्थियों को परिचित करा रहे होंगे, ताकि वे बड़े होकर समाज की अनेक सच्चाइयों से मुँह न मोड़ लें। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण ऐसी गतिविधि है जो किसी समाज या देश में राजनीतिक ढाँचे को निरंतर गढ़ती है। हम अपनी-अपनी दृष्टि से सामाजिक गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। भाषा इस प्रयास को स्वर देती है। और भाषा-शिक्षार्थी उनकी व्याख्या और विश्लेषण करते हुए उसके विभिन्न आयाम को सीखता है।

कक्षा और वास्तविक दुनिया:

वास्तविक जीवन से जुड़ी कहानियाँ क्लासरूम के लिए नहीं गढ़ी जाती। अमेरिकी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे विविध विषयों का अध्ययन करते हैं, उनमें विज्ञान, भूगोल, इतिहास, गणित आदि शामिल हैं। हमारे कार्यक्रमों में वे भारत, भारतीय संस्कृति, उसके रहन-सहन से परिचित होते हैं। अपनी कक्षा में वे जो सीखते हैं उनके अनुभव हिंदी पाठ में शामिल करते हैं। इस बात की संभावना यह उम्मीद जगाती है कि इक्कीसवीं शताब्दी के ये शिक्षार्थी आजीवन अपनी संस्कृति और भाषा से जुड़े रहेंगे, उसे सीखेंगे, और अपने सहपाठियों, पड़ोसियों के साथ अपने अनुभव बाँटेंगे। भारत के बाहर विभिन्न देशों में हिंदी सिखाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रभावी सिद्धांतों को हर जगह अपनाया जा सकता है। हिंदी शिक्षण को परंपरागत अनौपचारिकता से बाहर निकाल कर हम इक्कीसवीं सदी के बच्चों की भाषाई ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं।

संदर्भ:

1. वड्ज़ एंड ऐक्शंज़, टीचिंग लैंग्विजेज़ थ्रू द लेंस ऑफ सोशल जस्टिस-कसैंड्रा ग्लिन, कांकोर्डिया कॉलेज, मूर हेड: पामेला वेसली, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, बेथ वेसली, रोवन यूनिवर्सिटी, द अमेरिकन काउन्सिल ऑन द टीचिंग ऑफ फ़ोरेन लैंग्विजेज़, 1001, नोर्थ फ़ेयर फ़ैक्स स्ट्रीट, सूट 200, अलेक्सांड्रीया, वर्जीनिया 22314 स्टारटॉक सिद्धांत: <https://startalk.umd.edu/public/principles>